न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।
सत्र परीक्षण सं०-186/2017

स्टेट .....बनाम ..... आशीष बर्नवाल वगै०
मु0अ0सं0-295/2016
थाना-राजघाट, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक-29.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। पूर्व तिथि पर उभयपक्षों को प्रार्थना पत्र कागज सं०-1173ख पर सुना जा चुका है।

उक्त प्रकरण में परमानन्द राम त्रिपाठी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र कागज सं०-1173ख अंतर्गत धारा-216 दं०प्र०सं० प्रस्तुत कर कथन किया गया कि उपरोक्त वाद में कुल 10 अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण की कार्यवाही चल रही थी। दौरान विचारण अभियुक्त राहुल जायसवाल की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध संचालित कार्यवाही उपशमित कर दी गयी। माननीय न्यायालय में परीक्षित तथ्य के साक्षी पी०डब्लू०-1 अनामिका बर्नवाल, पी०डब्लू०-2 अरूण कुमार बर्नवाल एवं पी०डब्लू०-3 अन्वेश बर्नवाल के बयान से स्पष्ट तथ्य आया है कि 5 मोटरसाइकिल पर सवाल 10 अभियुक्तगण आशीष बर्नवाल, अजीत बर्नवाल, अतुल जायसवाल, राहुल जायसवाल, बुलेट उर्फ सतीश, नसीम कुरैशी, छोटे कुरैशी, गया साहनी, सुधीर सिंह एवं किफायतुल्ला द्वारा अरूण बर्नवाल के ऊपर जान मारने की नीयत से कट्टे से ताबडतोड़ फायर किया गया, परन्तु अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित हुआ है, उसमें धारा-147,148,149 भा०दं०सं० का आरोप विरचित नहीं किया गया है, जबकि उपरोक्त गवाहों के बयान एवं अभियोजन प्रपत्रों से धारा-147,148,149 भा०दं०सं० का अपराध घटित होता है, जिसे विरचित किया जाना आवश्यक है।

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए कथन किया गया कि वाद को विलम्बित करने के आशय से अभियोजन द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

धारा-216 दं०प्र०सं० में अवधारित किया गया है कि **न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है**-(1) कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है।

(2) ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा ।

(3) यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरन्त आगे चलाने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजक पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात्

स्वविवेकानुसार विचारण को ऐसे आगे चला सकता है मानो परिवर्तित या परिवर्धित आरोप ही मूल आरोप है।

(4) यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरन्त आगे चलाने से इस बात की संभावना है कि अभियुक्त या अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो न्यायालय या तो नए विचारण का निदेश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए, जितनी आवश्यक हो, स्थगित कर सकता है।

(5) यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित अपराध ऐसा है, जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, तो उस मामले में ऐसी मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर जिन पर परिवर्तित या परिवर्धित आरोप आधारित हैं, अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही अभिप्राप्त नहीं कर ली गई है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण आशीष बरनवाल, अमित बरनवाल, अतुल जायसवाल, किफायतुल्ला, नसीम कुरैशी एवं छोटे कुरैशी के विरुद्ध आरोप दिनांक 01.08.2017 को तथा अभियुक्त बुलेट उर्फ मो० सलीम के विरुद्ध आरोप दिनांक 18.10.2019 को और सुधीर सिंह व गया साहनी के विरुद्ध आरोप दिनांक 30.05.2024 को अंतर्गत धारा-307/34,507, 307/120बी में विरचित किया गया। तत्पश्चात साक्ष्य की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। अभियोजन की ओर से पी०डब्लू-1 के रूप में अनामिका बरनवाल, पीडब्लू-2 के रूप में अरुण कुमार बरनवाल, पी०डब्लू-3 के रूप में अनवेश बरनवाल, पी०डब्लू-4 के रूप में उ०नि० अशोक कुमार स्वर्णकार, पी०डब्लू-5 के रूप में डॉ० नवीन कुमार वर्मा, पी०डब्लू-6 के रूप में डॉ० अखिलेश कुमार सिंह, पी०डब्लू-7 के रूप में अनिल कुमार सिंह, पी०डब्लू-8 के रूप में डॉ० डी०के० वत्सल्य एवं पी०डब्लू-9 के रूप में अरविन्द कुमार (न्यूरोसर्जन) को परीक्षित कराया गया है।

साक्षी पी०डब्लू-1 अनामिका बरनवाल ने अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक 11 सितम्बर 2016 की रात 10.50 पी0एम0 की है। घटना के दिन जब मेरे पति समय से घर नहीं आये तो मैं ढूंढने गली में निकली तो लक्ष्मीकान्त तिवारी के घऱ के पास पहुंची तो देखी कि मेरे पति स्कूटी से आ रहे थे। बिजली के खम्भे पर स्ट्रीट लाईट जल रही थी। पीछे से अमित और आशीष, नसीम कुरैशी, छोटे कुरैशी, राहुल जायसवाल, अतुल जायसवाल, बुलेट उर्फ सलीम, किफायतुल्लाह उर्फ बौवन, सुधीर सिंह, गया साहनी जान से मारने की नीयत से असलहे से गोली चला रहे थे। आशीष बरनवाल की गोली मेरे पति के बांये कंधे पर लग गयी। मेरे पति वहीं गिर गये। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मेरे पति पीछे से स्कूटर से आ रहे थे। उनके पीछे पांच मोटरसाइकिलों से दस लोग थे, जिनके पास असलहे थे। प्रत्येक मोटरसाइकिल पर दो-दो लोग बैठे थे जिसमें आशीष कुमार व अमित कुमार एक मोटरसाइकिल पर, दूसरे मोटरसाइकिल पर गया साहनी व सुधीर सिंह, तीसरे मोटरसाइकिल पर राहुल जायसवाल व अतुल जायसवाल, चौथे मोटरसाइकिल पर नसीम कुरैशी व छोटे कुरैशी व पांचेवे मोटरसाइकिल पर बुलेट उर्फ सलीम, किफायतुलाह उर्फ बउअन आये। सभी बाइक सवार स्कूटी को रोक लिये व गोली चलाने लगे।

साक्षी पी0डब्लू-2 अरूण कुमार बरनवाल, जो कि चोटहिल भी है, ने अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक 11 सितम्बर 2016 की रात 10.50 बजे की है। मैं दुकान से स्कूटी से घर आ रहा था। जब मैं स्कूटी से दुकान से घर की तरफ लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी के मकान के पास पहुंचा तो वहां सड़क पर बना डिवाइडर पर स्कूटी रूक गयी। फिर मुझे आभास हुआ जैसे मेरे पीछे कुछ लोग हैं। मैने पलटकर देखा तो मुझे कुछ बाइको पर दस लोग दिखाई दिये उनके पीछे मेरा लड़का दीवाल के सहारे खड़ा था। मैने सामने देखा सामने से मेरी पत्नी आते दिखाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सभी दस लोग के पास जिनके नाम आशीष बरनवाल, अमित बरनवाल, अतुल जायसवाल, राहुल जायसवाल, नसीम कुरैशी, छोटे कुरैशी, किफायतुलाह, बुलेट उर्फ सलीम, सुधीर सिंह एवं दया साहनी थे। ये सभी लोग जान से मारने की नीयत से मुझपर फायरिंग करने लगे। आशीष बरनवाल की गोली मेरी गर्दन के नीटे बांये तरफ लग गयी। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सभी दस लोग जिनके नाम आशीष बरनवाल, अमित बरनवाल, अतुल जायसवाल, राहुल जायसवाल, नसीम कुरैशी, छोटे कुरैशी, किफायतुलाह, बुलेट उर्फ सलीम, सुधीर सिंह एवं दया साहनी थे। सुधीर सिंह व दया साहनी अपनी बाइक से उतरकर फायर कर दिये। आशीष और अमित अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर फायर कर दिये।

साक्षी पी0डब्लू-3 अनवेश बरनवाल ने अपने मुख्य बयान में कथन किया है कि घटना दिनांक 11.09.2016 की रात्रि लगभग 10 बजकर 50 मिनट की है। मैने देखा कि मेरी मम्मी अनामिका बरनवाल आ रही थी। मम्मी ने मुझसे पूछा कि पापा कहां हैं मेरे कुछ बोलने से पहले मेरे पापा अरुण कुमार बरनवाल स्कूटी से घर आ रहे थे। आते हुए दिखायी दिये। मेरे पापा के स्कूटी के पीछे मैंने देखा कि पांच मोटरसाइकिल पर कुल दस लोग सवार थे। वह लोग अपने हाथ में असलहा लिये हुए थे। मेरे पापा स्कूटी से गायत्री त्रिपाठी के मकान के सामने बने स्पीड ब्रेकर पर पहुंचे तभी मोटरसाइकिल पर सवार मेरे बड़े पापा आशीष बरनवाल और चाचा अमित बरनवाल, दूसरे मोटरसाइकिल पर बुलेट उर्फ सलीम और नसीम कुरैशी थे। तीसरे मोटरसाइकिल पर छोटे कुरैशी और किफायतुलाह थे। चौथे मोटरसाइकिल पर राहुल जायसवाल और अतुल जायसवाल थे। पांचवे मोटरसाइकिल पर गया साहनी और सुधीर सिंह थे। ये सभी लोग मेरे पापा को चारों तरफ से घेर लिये। मेरे बड़े पापा आशीष बरनवाल जिनके हाथ में असलहा था उस असलहे से मेरे पापा अरुण बरनवाल के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिये। साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मैने विवेचक को यह बयान दिया था कि मेरे पापा जब स्कूटी से गायत्री त्रिपाठी के मकान के सामने बने स्पीड ब्रेकर पर पहुंचे सभी मोटरसाइकिल पर सवार मेरे पापा को घेर लिये। मेरे बड़े पिता आशीष बरनवाल जिनके हाथ में असलहा था उस असलहे से मेरे पापा के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिये। यदि उपरोक्त बातें विवेचक ने बयान में न लिखी हो तो इसका कोई कारण वह नहीं बता सकता।

धारा-147 भा०दं०सं० में उल्लिखित किया गया है कि-बल्वा करने के लिए दण्ड-जो कोई बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा-148 भा०दं०सं० में उल्लिखित किया गया है कि-घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना- जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य हो, सज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा-149 भा०दं०सं० में उल्लिखित किया गया है कि-विधिविरुद्ध जमाव का हर सदस्य, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किये गये अपराध का दोषी - यदि विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।

उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य के परिशीलन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि अभियुक्तगण एकराय होकर बल्वा करने के उद्देश्य से घातक हथियारों से सुसज्जित होते हुए चोटहिल साक्षी पी0डब्लू-2 अरुण कुमार बरनवाल का पीछा किया और जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर असलहे से फायर किया। अभियुक्त आशीष बरनवाल के असलहे की गोली साक्षी पी0डब्लू-2 को लग गयी जिससे वह चोटहिल हो गया। अभियोजन द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर साक्षी पी0डब्लू-2 अरुण कुमार बरनवाल के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया है। अभियोजन द्वारा दिया गया तर्क उपयुक्त प्रतीत होता है। अभियोजन साक्षियों के बयान में धारा-147,148,149 भा०दं०सं० के तथ्य विद्यमान हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-147,148,149 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किये जाने योग्य है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं0-1173ख स्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते आरोप विरचन दिनांक 01.08.2026 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई०सी० एक्ट), गोरखपुर।

Digitally signed by SIDDHARTH SINGH
Date: 2026.07.30 10:30:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court